

सेवा में,  
शाखा प्रबंधक

 दिनांक   
पेन 

\*इलाहाबाद बैंक के ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।

शाखा \_\_\_\_\_ शाखा

प्रिय महोदय,

कृपया नीचे दिए गए विवरणानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से कुल \_\_\_\_\_ (रुपये शब्दों में) \_\_\_\_\_

मात्र

प्रेषित किया जाए।

 नक़द

 चेक

 मेरे/हमारे खाते से नामे

\*नक़द के मामले में, कृपया जमा पची भरें।

\*आवेदनकर्ता द्वारा स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए।

**आवेदनकर्ता का विवरण (धन-प्रेषक)**

खाता संख्या	<input type="text"/>								
चेक संख्या	<input type="text"/>								
धन-प्रेषक का नाम	<input type="text"/>								
पता	<input type="text"/>								
मोबाइल नं./अन्य नंबर	<input type="text"/>								
चेक की तिथि	<table border="1"> <tr> <td>दि</td><td>दि</td><td>मा</td><td>मा</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td><td>व</td> </tr> </table>	दि	दि	मा	मा	व	व	व	व
दि	दि	मा	मा	व	व	व	व		

**लाभार्थी का विवरण**

लाभार्थी का नाम	<input type="text"/>
खाता सं.	<input type="text"/>
खाता संख्या की पुष्टि करें	<input type="text"/>
बैंक का नाम	<input type="text"/>
आईएफसी कोड (11 अंक)	<input type="text"/>
शाखा का पता	<input type="text"/>

प्रेषक से प्राप्तकर्ता की सूचना (यदि कोई) : \_\_\_\_\_

**नियम एवं शर्तें**

- यह अन्तरण एकल लेनदेन हेतु वैध है।
- निधि अन्तरण हमारी वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर दिए गए नियम एवं शर्तों के अनुसार शासित होगी।
- लाभार्थी का खाता संख्या एवं आईएफसी कोड भरने के दौरान उचित सावधानी रखी जानी चाहिए।
- इस सुविधा के उपयोग से 49,999 की नक़द राशि का अन्तरण अनुज्ञेय है।
- उपर्युक्त \_\_\_\_\_ से अधिक नक़द भुगतान हेतु गैर ग्राहक द्वारा फोटो पहचान पत्र दिया जाना होगा।
- कृपया अपना खाता विवरण/इन्टरनेट बैंकिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड/एटीएम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/मोबाइल बैंकिंग/व्यक्तिगत सूचना किसी भी व्यक्ति को न बताएं।
- झूठे वायदों का शिकार न बने; संदिग्ध योजनाओं से सावधान रहें।

**घोषणा**

- मैं/हम इलाहाबाद बैंक को उपर्युक्त उल्लेखित मेरे खाते को नामे करने हेतु लागू प्रभार बसूलने हेतु प्राधिकृत करता/ती/ते हूँ/हैं।
- मैं/हम जानता/ती/ते हूँ/हैं कि आरबीआई के परिपत्र दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निधियों का अन्तरण केवल अन्तरण प्रारम्भ करने के दौरान उपलब्ध कराई गई लाभार्थी के खाता संख्या के आधार पर कार्यान्वित होगा। उपलब्ध कराए गए जमा हेतु मापदण्ड के अनुसार नाम विचारणीय नहीं होगा।
- मैं/हम जानता/ती/ते हूँ/हैं कि यह सुविधा केवल चयनित स्थानों पर एवं आरबीआई द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर फैसिलिटी के तहत सम्मिलित बैंकों में उपलब्ध है।

**ग्राहकों के हस्ताक्षर**

हस्ताक्षर
-----------

नाम

\*(प्रथम आवेदनकर्ता)

हस्ताक्षर
-----------

नाम

\*(संयुक्त आवेदनकर्ता)

हस्ताक्षर
-----------

नाम

\*(संयुक्त आवेदनकर्ता 2)

**ग्राहक पावती**

दिनांक: \_\_\_\_\_

हम एनईएफटी / आरटीजीएस निर्देश की रसीद की पावती देते हैं। संदर्भ सं. \_\_\_\_\_

शाखा : \_\_\_\_\_ बैंक अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर \_\_\_\_\_



आवेदन की तिथि एवं समय

सेवा में,  
शाखा प्रबंधक

 दिनांक:   
पैन: 

\_\_\_\_\_ शाखा

प्रिय महोदय,

कृपया नीचे दिए गए विवरणानुसार आईएमपीएस के माध्यम से \_\_\_\_\_ (रूपये शब्दों में) \_\_\_\_\_

प्रेषित किए जाएं:

 नक़द

\*नक़द के मामले में, कृपया जमा पची भरी जाए।

 चेक

 मेरा/हमारा खाता नामे किया जाए।

\*आवेदनकर्ता द्वारा स्पष्ट अक्षरों में भरे जाएं।

**आवेदनकर्ता का विवरण (धन-प्रेषक)**

खाता संख्या	<input type="text"/>	चेक संख्या	<input type="text"/>
चेक की तिथि	दि दि मा मा व व व व	मोबाइल/अन्य नंबर	<input type="text"/>
धन-प्रेषक का नाम	<input type="text"/>		
पता	<input type="text"/>		

**लाभार्थी का विवरण**

लाभार्थी का नाम	<input type="text"/>		
खाता संख्या	<input type="text"/>		
खाता संख्या की पुष्टि करें	<input type="text"/>		
बैंक का नाम	<input type="text"/>		
आईएफएस कोड (11 अंक) पी2ए	<input type="text"/>		
पी2पी मोबाइल नं. :	<input type="text"/>	एमएमआईडी नं. :	<input type="text"/>
पी2पी आधार नं. :	<input type="text"/>	(लाभार्थी के खाता नं. में आधार सीड किया जाना आवश्यक है।)	
शाखा का पता	<input type="text"/>		

**नियम एवं शर्तें**

- निधि अन्तरण हमारी वेबसाइट [www.allahabadbank.in](http://www.allahabadbank.in) पर दिए गए नियम एवं शर्तों के अनुसार शासित होगी।
- \_\_\_\_\_ से अधिक नक़द भुगतान हेतु गैर ग्राहक द्वारा फोटो पहचान पत्र दिया जाना होगा।
- निधि अन्तरण तब ही प्रभावी होगी, जब लक्ष्य बैंक/शाखा आईएमपीएस में सहभागी है।
- धन-प्रेषक के खाते में पर्याप्त निधि उपलब्ध होना आवश्यक है। ` 1 करोड़ एवं अधिक के धन-प्रेषण हेतु प्रेषक शाखा को पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है।
- आवेदन फॉर्म खाते को नामे करने हेतु नामे लिखित सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- एकवार खाता नामे होने एवं निधि विप्रेषित हो जाने पर, धन-प्रेषक दिए गए अधिदेश को रद्द नहीं कर सकता है।
- लाभार्थी को धन प्राप्त में देरी/गैर-भुगतान हेतु प्रेषक शाखा/बैंक उत्तरदायी नहीं होगा यदि :-
  - अ) आवेदनकर्ता/धन-प्रेषक द्वारा लाभार्थी का गलत एवं अपर्याप्त विवरण उपलब्ध कराया हो।
  - ब) प्रेषक/लक्ष्य बैंक के नियंत्रण के परे परिस्थितियों के कारण कार्य की व्यवस्था जैसे कंप्यूटर सिस्टम के कार्य नहीं करने, प्राकृतिक आपदाओं के कारण कार्य में व्यवधान, हड़ताल, घोषित उपद्रव/अघोषित अवकाश इत्यादि, अथवा आन्तरिक समस्याएं अथवा धन-विप्रेषण मोड की गड़बड़ी के परिणामस्वरूप शाखा/बैंक के नियंत्रण के परे अन्य कारण।
- धन-विप्रेषण के मोड:
  - पी2ए: लाभार्थी का खाता सं. एवं प्राप्तकर्ता शाखा का आईएफटी कोड आवश्यक है।
  - पी2पी: लाभार्थी का मोबाइल नं. एवं एमएमआईडी दिया जाना होगा।
  - पी2यू: लाभार्थी के खाते में सीड किया गया आधार नं. दिया जाना होगा।
- प्रति अन्तरण पर अधिकतम राशि विप्रेषित की जा सकती है : ` 2.00 लाख
- एक दिन में ` 50,000/- से अधिक के अन्तरण हेतु पैन उद्धृत/फॉर्म 60 प्रस्तुत किया जाना होगा।

**घोषणा**

- मैं/हम इलाहाबाद बैंक को उपर्युक्त उल्लेखित मेरे खाते को नामे करने हेतु लागू प्रचार वसूलने हेतु प्राधिकृत करता/तीते हूँ/हैं।
- मैं/हम जानता/तीते हूँ/हैं कि आरबीआई के परिपत्र दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से निधियों का अन्तरण केवल अन्तरण प्रारम्भ करने के दौरान उपलब्ध कराई गई लाभार्थी के खाता संख्या के आधार पर कार्यान्वित होगा। उपलब्ध कराए गए जमा हेतु मापदंड के अनुसार नाम विचारणीय नहीं होगा।
- मैं/हम जानता/तीते हूँ/हैं कि यह सूविधा केवल चयनित स्थानों पर एवं आरबीआई द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर फेसिलिटी के तहत सम्मिलित बैंकों में उपलब्ध है।

केवल बैंक के उपयोग हेतु

ऊपर दिए गए लाभार्थी के विवरणानुसार लेनदेन प्रविष्ट किया गया

प्राथमिक कोड (यदि कोई): \_\_\_\_\_

समय: \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
एसएस नं. सहित प्राधिकृत अधिकारी (मेकर) -

उपर्युक्त दिए गए लाभार्थी के विवरण के अनुसार आवेदक का हस्ताक्षर सत्यापित लेनदेन प्राधिकृत एवं आईएमपीएस के माध्यम से निधि विप्रेषित की गई

आईएमपीएस संदर्भ सं.: \_\_\_\_\_ जर्नल नं.: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
एसएस नं. सहित प्राधिकृत अधिकारी (चेकर).

 \_\_\_\_\_  
दिनांक समय

**ग्राहक के हस्ताक्षर**

हस्ताक्षर
नाम

\*(प्रथम आवेदक)

हस्ताक्षर
नाम

\*(संयुक्त आवेदक 1)

हस्ताक्षर
नाम

\*(संयुक्त आवेदक 2)

**ग्राहक पावती**

दिनांक: \_\_\_\_\_

हम आईएमपीएस निर्देशों की पावती देते हैं। संदर्भ सं. \_\_\_\_\_

शाखा : \_\_\_\_\_ बैंक अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर \_\_\_\_\_



आवेदन की तिथि एवं समय